न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी श्रीमती भावना सिंह (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या : 03/2021
दायर दिनांक : 25/02/2021
निर्णय दिनांक : 29/03/2022

उनवान

1. नन्दकुंवर बेवा भोपालसिंह राजपूत निवासी बूल तहसील भूपालसागर

प्रार्थिया

बनाम

1. भगवतसिंह पिता रघुनाथसिंह राजपूत निवासी बूल तहसील भूपालसागर
2. भगवतसिंह पिता किशनसिंह राजपूत निवासी बूल तहसील भूपालसागर
3. रेखाकुंवर पिता महेन्द्रसिंह राजपूत निवासी बूल तहसील भूपालसागर
4. नन्दा पिता मोहन जाट निवासी बूल तहसील भूपालसागर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

: निर्णय :

प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी की जाने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार प्रार्थिया रेकार्डेड खातेदार है। अतः प्रार्थना पत्र व रेकार्ड के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–128 **एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी** का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भूपालसागर को 500– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा **बूल** तहसील भूपालसागर की आराजी संख्या **449, 450, 462, 463, 464, 510, 511, 512, 445, 1641/445** रकबा क्रमशः **0.41 है., 0.33 है., 0.04 है., 0.45 है., 0.32 है., 0.10 है., 0.18 है., 0.20 है., 1.94 है. 1.32 है.** हैक्टेयर भूमि में उभयपक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब करवाकर अपने नेतृत्व में सीमांकन की टीम गठित कर चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढी की कार्यवाही करे। अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खड़ी न हो तो ही पत्थरगढी की जावे एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे। कमिश्नर फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं हो। इस आशय बाबत तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनवाया गया ।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawna Singh
Date: 2022.03.31 16:14:19 IST
Reason: SelfAttested

c:\Users\Administrator\Desktop\disicion case\finel descisen dara 128 RTA\ganesh v-s shubhasing 8-2021.docx